न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-44/2018/टोंक (2018/00044)

1. प्रहलाद पुत्र कालू
2. सूजा पुत्र कालू
   जाति जाट निवासीगण करोड तहसील निवाई जिला टोंक

अपीलांटस

बनाम

1. रामनिवास पुत्र टोल्या जाति मीणा
2. फूल्या उर्फ रामफूल पुत्र टोल्या जाति मीणा
3. गेन्दी बेवा टोल्या जाति मीणा
   निवासीगण करोद तहसील निवाई जिला टोंक
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निवाई जिला टोंक

रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक दिनांक 07.05.2018 प्रकरण संख्या 46/2018.

उपस्थितः-

1. श्री मदन लाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हेमराज, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः- 4.12.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,112,133 व 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्त किये जाने शीट प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंवर 859/2 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम करोद तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है जिसके हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 एक मात्र मालिक स्वामी खातेदार काबिज चले आ रहे हैं द्य उपरोक्त भूमि राजस्व शीट मे खसरा नंबर 860, 857 व 856 के मध्य दक्षिणी ओर छोटी सी पट्टी के रूप मे स्थित थी तथा उक्त भूमि खसरा नंवर 762 के दक्षिणी मे सटवा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

स्थित है जिसके पूर्वी ओर खसरा नंबर 858 पश्चिम मे खसरा नंबर 859/1 एवं दक्षिण दिशा मे खसरा नंबर 860, 857 व 856 स्थित है, राजस्व कर्मचारियों ने बेईमानी पूर्वक हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की भूमि खसरा नंबर 859/2 नक्शा ट्रेस मे जमीन का रकबा कम करने के उद्देश्य से दक्षिण ओर खडी एवं छोटी पट्टी के रूप मे स्थित भूमि के मध्य खसरा नंबर 860 के उत्तरी पूर्वी मेड से पूर्व पश्चिम लाईन खेंचकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की भूमि का रकबा कम कर दिया इसलिए जो त्रुटी वर्तमान शीट मे हुई है जिसके द्वारा खसरा नंबर 859/2 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे दक्षिण की ओर स्थित खडी व छोटी पट्टी के रूप मे जिसके खसरा नंबर 860 के उत्तर पूर्वी कोने पर पूर्व पश्चिम छोटी लाईन खेंचकर बंद किया गया है उसे हटाया जाकर प्रार्थी को उक्त भूमि खसरा नंबर 854 के उत्तरी पूर्वी कोने तक पूर्व शीट के अनुसार वर्तमान शीट को दुरूस्त किया जाकर राजस्व शीट मे तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

2- यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर हाल रेस्पोडेंट संख्या-4 को जरिये सम्मन तलब किया गया है, हाल रेस्पोडेंट संख्या-4 ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया परन्तु नियत पेशी दिनाक 23-05-2018 से पूर्व ही प्रकरण का निस्तारण दिनाक 07-05-2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प चौनपुरा मे निस्तारण करते हुये अपने अति सुक्ष्म आदेश पारित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई। xx

4- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना एवं साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2018 पारित किया है जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित होते है क्योंकि अपीलाधीन आदेश में अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि अपी0 ख0नं0 860, 857, 856 के खातेदार है। अपी0 जो कि प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है, उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्रकरण में आदेश पारित किये गये है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार होने से उसे सुना जाना आवश्यक है क्योंकि रेस्पो0 द्वारा जो छोटी पट्टी बताई गयी है अपीलांटस की आराजी होकर ख0नं0 855 है, जिसका अपी0 खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । xx

5- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट की विवादित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर-860, 856, 857 मे छोटी पट्टी के खसरा नम्बर-855 अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की जिसमें विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई को अपने आदेश दिनाक 07-05-2018 को अपीलांट की भूमि पर तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया जबकि खसरा नम्बर-855 का पुराना नक्शा ट्रेस व नया मे भिन्नता नही होने के बाद भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट को प्रार्थना पत्र में बिना पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे कानूनी अनियमितता बरतते हुये आदेश पारित किया गया है। उक्त आक्षेपित आदेश पारित करने मे कानूनी भूल की है क्योकि राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण भी उक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार है जिनको सुनवाई का अवसर दिये बगैर जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकुल है।

6- अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया है कि नये नक्शे व पूर्व के नक्शे मे कोई अंतर नही है एवं ना ही हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के रकबे मे कोई कमी की गई है फिर भी गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने शुद्धि करने के आदेश प्रदान कर दिये जो कि कतई गलत व अनुचित है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार धारा 136 का दायरा (स्कोप) बहुत सिमित है, केवल मात्र लिपिकिय त्रुटी जो दोनो पक्षकार मानते है वही इसके माध्यम से सुधारी जा सकती है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे कोई लिपिकिय त्रुटी नही है एवं ना ही हाल अपीलांट की कोई सहमति कथित त्रुटी को दुरूस्त करवाने हेतु ली गई है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जावें।

7- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंटस रेस्पो0 खसरा नं0 859/2 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई में स्थित है, जिसके रेस्पो0 एक मात्र मालिक स्वामी खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। वर्णित भूमि राजस्व शीट में खसरा नं0 860, 857 एवं 856 के मध्य दक्षिण ओर छोटी पट्टी के रूप में स्थित थी, जो पूर्व शीट एवं सेटलमेंट शीट से स्पष्ट साबित एवं प्रमाणित है । रेस्पो0 की उक्त भूमि ख0नं0 762 के दक्षिणी में सटवा स्थित है, जिसके पूर्व ख0नं0 858 पश्चिमी ख0नं0 859/1 एवं दक्षिणी ख0नं0 860, 857 एवं 858 स्थित है जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 5 बीघा 01 बिस्वा है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

8- अभि0 रेस्पो0 ने आगे कथन किया कि रेस्पो0 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त भूमि खसरा नं0 859/2 की नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारी, पटवारी हल्का द्वारा बेईमानी पूर्वक जमीन का रकबा कम करने के उद्देश्य से रेस्पो0 की भूमि के दक्षिणी ओर खडी एवं छोटी पट्टी के रूप में स्थिति भूमि के मध्य ख0नं0 860 के उत्तरी पूर्व मेर से पूर्व पश्चिम लाईन खेंचकर प्रार्थी की भूमि का रकबा कम कर दिया जबकि रेस्पो0 की भूमि दक्षिणी ओर छोटी पट्टी के रूप में ख0नं0 854 के उत्तरी पूर्व मेर तक स्थित थी, जिससे रेस्पो0 की भूमि मौके पर कम हो गई। रेस्पो0 की भूमि

Scanned by CamScanner

ख0नं0 859/2 में खेची गई पूर्व पश्चिम लाईन को हटाये जाने तथा शीट को सही व दुरूस्त करने हेतु रेस्पो0 द्वारा अधि0न्याया0 (उपखण्ड अधिकारी, निवाई) को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 112, 133 व 136 भू-राजस्व अधि0 बावत दुरूस्त किये जाने शीट दिनांक 10.04.18 को प्रस्तुत किया, जिसे अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 07.05.19 को न्यायहित में स्वीकार कर तहसीलदार, निवाई को यह निर्देश दिये कि सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 10.07.12 को जारी नकल अनुसार ख0नं0 859/2 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम केरोद तरमीम शुद्धि करें। इस आदेश से अपीलांटस को ऐतराज या उज्र नहीं होना चाहिये क्योंकि रेस्पो0 ने अपी0 के खातेदारी वाली किसी खसरा/भूमि से कोई भूमि का हिस्सा नहीं लिया है। रेस्पो0 ने अपनी खातेदारी के ख0नं0 859/2 रकबा 05 बीघा 01 को तरमीम एवं दुरूस्त कराया गया है। यदि अपीलांटस को अपने खसरा नं0 से भूमि कम होने की आशंका है तो वे इसके लिए अलग से सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। अधि0 न्याया0 का निर्णय दिनांक 07.05.2018 विधि अनुसार सही है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

9- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 को निर्णित करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में जो कथन अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है क्योंकि अपीलांटस ख0नं0 860, 856, 857 में छोटी पट्टी ख0नं0 855 के अपी0 खातेदार है इसलिये अपीलांट को सुना जाना आवश्यक था, इसके बावजूद अधी0न्याया0 में रेस्पो0 संख्या 1 व से 3 ने तथ्य छिपाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जिससे अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होना प्रकट होता है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.05.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है । xx

10- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलांटस अभि0 का मुख्य कथन यह है कि अपीलान्टस की विवादित खसरा नम्बर-860, 856, 857 मे छोटी पट्टी के खसरा नम्बर-855 अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की जिसमें विद्वान उपखण्ड अधिकारी निवाई को अपने आदेश दिनाक 07-05-2018 को अपीलांट की भूमि पर तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया जबकि खसरा नम्बर-855 का पुराना नक्शा ट्रेस व नया मे भिन्नता नही होने के बाद भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट को प्रार्थना पत्र में बिना पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने मे कानूनी अनियमितता बरतते हुये आदेश पारित किया गया है। जबकि अभि0 रेस्पो0 का मुख्य तर्क यह है कि रेस्पो0 ने अपी0 के खातेदारी वाली किसी खसरा/भूमि से कोई भूमि का हिस्सा नहीं लिया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner

है। रेस्पो0 ने अपनी खातेदारी के ख0नं0 859/2 रकबा 05 बीघा 01 को तरमीम एवं दुरूस्त कराया गया है।

11- अधी0न्याया0 को चाहिये था कि इस संबंध में पटवारी हल्का से खसरा नंबर में कमी या अधिकता के संबंध में जांच करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर मात्र तहसीलदार, निवाई से प्राप्त रिपोर्ट कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा नक्शा ट्रेस नकले दिनांक 13.01.16 व 10.07.12 में भी भिन्नता है। दिनांक 10.07.12 में छोटी पट्टी ख0नं0 859/2 से खुली हुई है तथा दिनांक 13.01.16 को जारी नकल में छोटी पट्टी ख0नं0 859/2 से बन्द है। इस आधार पर प्रार्थी/अपीलांट का प्रकरण स्वीकार कर ख0नं0 859/2 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम केरोद की तरमीम शुद्धि करने के आदेश पारित कर दिये। अपीलांट की साबिक आराजियात खसरा नंबरों में कम हुआ रकबा किन खसरा नंबरों में सम्मिलित हुआ है आदि की पुष्टि के संबंध में पटवारी हल्का से अपीलांट एवं पडौसी काश्तकारों के साबिक खसरा नंबरों एवं रकबा बरारी करवा कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती थी तथा अधि0न्याया0 ने ख0नं0 859/2 व 855 के बीच लाईन होने या नहीं होने के बिन्दू पर एकतरफा सुनकर तरमीम का आदेश दिया है। अतः स्वाभाविक रूप से ख0नं0 855के रिकार्डेड खातेदारों (रेस्पोडेंटस) को सुना जाकर आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप व न्याय संगत नहीं माना जा सकता। इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को निर्णित किया है जो विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के कम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 07.05.2018 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 44/2018 (2018/00044) बउनवानी प्रहलाद बनाम रामनिवास व अन्य को आंशिक स्वीकार किय जाकर उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 46/2018 बउनवान रामनिवास व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 को अपास्त किया जाकर इस निर्णय के आब्जर्वेशनस में प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को नये सिरे से सुनकर युक्तियुक्त निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 4.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2019.12.06 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: